[2021] 7 एस. सी. आर 1132

पंजाब राज्य के नागरिक प्रस्ताव

निगम लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

एम/एस। रमेश कुमार और कंपनी और ओआरएस।

(2021 की सिविल अपील संख्या 6832)

नवंबर, 13,2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़ और

ए. एस. बोपन्ना, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996: एसएस। 34 और 37-मध्यस्थ पुरस्कार-उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार यू/एस। 37 निपटान से उत्पन्न

एक मध्यस्थ पुरस्कार यू/एस को चुनौती देने वाली याचिका का। 34 - तथ्यों पर, उच्च न्यायालय ने न केवल याचिका को खारिज करने वाले जिला न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया। 34 लेकिन उत्तरदाताओं के दावे को भी ब्याज के साथ सम्मानित किया-स्थिरता-आयोजितः टिकाऊ नहीं-ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय आगे बढ़ रहा है जैसे कि वह अभ्यास कर रहा था

एक दीवानी मुकदमे में एक डिक्री से एक नियमित पहली अपील में अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक था कि क्या जिला

न्यायाधीश ने एस के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया था। 34 मध्यस्थता पुरस्कार की चुनौती को अस्वीकार करने में-उच्च न्यायालय ने दावे को पूरी तरह से आदेश देने में जिला न्यायाधीश के फैसले को उलटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, जो स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था-जबकि

यू/एस द्वारा एक याचिका पर विचार करना। 34 न्यायालय अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करता है-इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत एक याचिका पर विचार करते समय, यह अच्छी तरह से तय किया गया है

कि न्यायालय एक अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करता है। जिन आधारों पर मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करने पर विचार किया जाता है, वे हैं -

धारा 34 के प्रावधानों द्वारा संरचित। जिला न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर आया था कि कोई वारंट नहीं था

धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए। ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय आगे बढ़ रहा है जैसे कि वह अभ्यास कर रहा हो। एक दीवानी मुकदमे में एक डिक्री से एक नियमित पहली अपील में अधिकार क्षेत्र। दीवानी मुकदमे में एक डिक्री से उत्पन्न होने वाली पहली अपील में अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अलग है।

याचिका के निपटारे से उत्पन्न 1996 के अधिनियम की धारा 37

1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देना। [पैरा 11] [1136-ई-जी]

1.2 तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय की आवश्यकता थी

यह निर्धारित करना कि क्या जिला न्यायाधीश ने मध्यस्थता पुरस्कार की चुनौती को अस्वीकार करने में 1996 के अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के विपरीत कार्य किया था। ऐसा करने में अपनी विफलता के अलावा, उच्च न्यायालय ने मामले को पलटते हुए एक कदम और आगे बढ़ाया। दावाक सम्पूर्णताक आदेश देबामे जिला न्यायाधीशक निर्णय। यह अभ्यास स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथ्य के प्रासंगिक निष्कर्ष निकालने का हकदार था। मध्यस्थता पुरस्कार में ठीक यही किया गया था। 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रतिवादियों द्वारा मध्यस्थ के निर्णय को असफल रूप से चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने और यहां तक कि दावे को आदेश देकर एक कदम आगे बढ़ने का कोई कानूनी आधार नहीं था। उच्च न्यायालय का निर्णय अस्थिर है और इसे दरकिनार कर दिया गया है। परिणामस्वरूप, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया जाता है। [पैरा 12,13] [1136-एच; 1137-ए-डी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6832

2021 से।

2013 (ओ एंड एम) के एफ. ए. ओ. No.2637 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

हिमांशु उपाध्याय, पी. एन. पुरी, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 2013 के एफ. ए. ओ. 2637 में 18 मई 2016 के पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले से उत्पन्न होती है।

3. 20 दिसंबर 2005 के एक मध्यस्थ निर्णय द्वारा, एकमात्र मध्यस्थ ने पहले और दूसरे उत्तरदाताओं के दावों को खारिज कर दिया। रुपये की राशि 4,88,437 और अपीलार्थियों की कार्रवाई को बरकरार रखा

1 1 इसके बाद उत्तरदाताओं के रूप में संदर्भित [2021] 7 एस. सी. आर.

प्रतिभूति जमा को जब्त करना। मध्यस्थ के निर्णय को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 34 के तहत चुनौती दी गई थी। चंडीगढ़ में जिला न्यायाधीश के समक्ष 2006 का मध्यस्थता मामला सं. 17। 9 नवंबर 2012 के एक फैसले द्वारा, जिला न्यायाधीश ने 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका में कोई सार नहीं पाते हुए इसे खारिज कर दिया। जिला न्यायाधीश के फैसले को 1996 अधिनियम की धारा 37 के तहत 2013 के एफ. ए. ओ. 2637 में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अपील को स्वीकार कर लिया कि पुरस्कार में कारणों की कमी थी और जो कारण सौंपे गए थे वे मनमाने थे और

गलत है। यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि पुरस्कार को रद्द किया जाना चाहिए था, उच्च न्यायालय ने 22,389 लकड़ी के डंडों की आपूर्ति के लिए उत्तरदाताओं के दावे का फैसला सुनाया, जिसमें रुपये की सुरक्षा जमा राशि 1,00,000 और

जिस तारीख से राशि देय हुई है, उस तारीख से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाता है।

4. 24 मार्च 2017 को नोटिस जारी करते हुए, इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश के संचालन पर रोक लगा दी। 5. पक्षकारों के बीच विवाद एक अनुबंध से उत्पन्न हुआ जो 4 अप्रैल को अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों के बीच किया गया था।

प्रतिभूति जमा की जब्ती के संबंध में। अपीलार्थियों द्वारा दायर लिखित बयान में, बचाव पक्ष यह था कि उत्तरदाताओं द्वारा की गई आपूर्ति उप-मानक थी और इसके अनुसार नहीं थी निविदा के विनिर्देश। साक्ष्य दर्ज करने के बाद, एकमात्र मध्यस्थ ने दावे को खारिज कर दिया। दावेदार और अपीलार्थियों के लिए गवाह के साक्ष्य पर विचार करने के बाद, एकमात्र मध्यस्थ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो सामग्री प्रदान की गई थी वह दोषपूर्ण थी और प्रतिभूति जमा की जब्ती वैध थी।

6. अपील में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित तर्क के आधार पर जिला न्यायाधीश के फैसले को रद्द कर दिया है:

2 " 1996 अधिनियम "पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी. एम/एस। रमेश कुमार और कंपनी [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

" मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और मूल्यांकन किया है

कागजी पुस्तक और यह विचार कि मध्यस्थ द्वारा स्वीकार किए गए भुगतान को रोकने को उचित ठहराने के लिए निष्कर्ष निकाले गए हैं

लकड़ी की बैटन और सुरक्षा अत्यधिक गलत है और इसमें नहीं है।

1996 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप और इस प्रकार, पुरस्कार 1996 के अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा 3 के उपबंधों से ग्रस्त है। रोके रखने के लिए तर्क सौंपा गया

सुरक्षा का कथित रूप से खंड 8 के अनुसार मजबूत किया गया है समझौता, जबकि, खंड 8 कहता है कि केवल शुल्क

अपीलार्थी-ठेकेदार द्वारा वहन किया जाने वाला परिवहन, लेकिन प्रतिभूति को रोकने के संबंध में नहीं। मध्यस्थ ने 22389 लकड़ी के बैटनों की प्राप्ति को स्वीकार करते हुए दिनांकित 04.04.2002 स्वीकृति पत्र की जांच नहीं की, जो इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि

अनुबंध का विनिर्देशन। दावा केवल इस संबंध में था कि

सुरक्षा। पुरस्कार में कारणों का अभाव है, बहुत कम, 1996 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और यह टिकाऊ नहीं है। द. मध्यस्थ द्वारा दिए गए कारण न केवल भ्रामक और मनमाने हैं, बल्कि बहुत कम, गलत हैं। कोई कारण नहीं बताया गया है दिनांकित स्वीकृति पत्र 04.04.2002 पर। यह पहलू था

ऑब्जेक्टिंग कोर्ट द्वारा ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जो, मेरे विचार में, उपरोक्त की सराहना नहीं करने में प्रतिबद्ध भ्रांति है तथ्य और कानून। "

8. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील श्री हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत, धारा 34 के तहत मध्यस्थता की अस्वीकृति से उत्पन्न, अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का उल्लंघन किया है। वकील ने कहा कि:

((i)

उच्च न्यायालय के निष्कर्ष के विपरीत मध्यस्थता पुरस्कार, अनुचित नहीं है, लेकिन साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद विस्तृत कारण शामिल हैं जो प्रतिद्वंद्वी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे

पार्टियाँ;

उच्च न्यायालय केवल इस पुरस्कार को रद्द नहीं कर सकता था

((ख)

4 अप्रैल 2002 के स्वीकृति पत्र के आधार पर।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुरस्कार में इस तथ्य का संदर्भ है कि जहां तक 4 अप्रैल 2002 की अवधि समाप्त होने के बाद बैटन की आपूर्ति का संबंध है, एक 'कटौती' और निविदा के प्रासंगिक खंडों के संदर्भ में की जानी आवश्यक है।

दस्तावेज़; और

(111) उच्च न्यायालय एक दीवानी मुकदमे में पहली अपीलीय अदालत के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा था और निर्णय नहीं दे सकता था

दावा करते हैं।

9. उत्तरदाताओं को सेवा दी गई है। उनकी ओर से कोई उपस्थिति दर्ज नहीं की गई है।

10. उच्च न्यायालय का एकल न्यायाधीश 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा था। 20 दिसंबर 2005 के एकमात्र मध्यस्थ के निर्णय में साक्ष्य का विश्लेषण शामिल है। दोनों ने

प्रत्यर्थियों के साथ-साथ अपीलकर्ताओं ने मध्यस्थ के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया

अपीलार्थियों को हुए नुकसान और क्षति की विधिवत मात्रा निर्धारित की गई थी और इस पृष्ठभूमि में, एकमात्र मध्यस्थ ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तरदाता शेष राशि के भुगतान के हकदार नहीं थे। मूलधन या प्रतिभूति जमा की वसूली के लिए।

11. 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक याचिका पर विचार करते समय, यह सर्वसम्मत है कि न्यायालय एक अपीलीय मंच के रूप में कार्य नहीं करता है। वे आधार जिनके आधार पर मध्यस्थता निर्णय में हस्तक्षेप करने पर विचार किया जाता है धारा 34 के प्रावधानों द्वारा संरचित हैं। जिला न्यायाधीश सही निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार में हस्तक्षेप के लिए कोई वारंट नहीं था। ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने एक दीवानी मुकदमे में एक डिक्री से नियमित पहली अपील में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है। दीवानी मुकदमे में डिक्री से उत्पन्न होने वाली पहली अपील में अधिकार क्षेत्र 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अलग है, जो 1996 की धारा 34 के तहत मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने वाली याचिका के निपटारे से उत्पन्न होता है।

एक्ट करें।

12. वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय को यह निर्धारित करने की आवश्यकता थी कि क्या जिला न्यायाधीश ने निम्नलिखित प्रावधानों के विपरीत कार्य किया थाः

1996 के अधिनियम की धारा 34 मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती देने से इंकार करती है।

पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड। वी. एम/एस। रमेश कुमार और कंपनी [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

ऐसा करने में अपनी विफलता के अलावा, उच्च न्यायालय ने दावे को पूरी तरह से घोषित करने में जिला न्यायाधीश के फैसले को पलटते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। यह अभ्यास स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य था। मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तथ्य के प्रासंगिक निष्कर्ष निकालने का हकदार था। मध्यस्थता पुरस्कार में ठीक यही किया गया था। मध्यस्थ के निर्णय को चुनौती दी गई थी 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत उत्तरदाताओं द्वारा असफल। में।

इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय के लिए जिला न्यायाधीश के फैसले में हस्तक्षेप करने और, जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, दावे का आदेश देकर एक कदम आगे बढ़ने का कोई कानूनी आधार नहीं था।

13. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के फैसले को अस्थिर पाते हैं। हम तदनुसार अपील की अनुमति देते हैं और खारिज कर देते हैं

2013 के एफ. ए. ओ. 2637 में 18 मई 2016 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश का विवादित निर्णय। परिणामस्वरूप, 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत याचिका की अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए प्रतिवादियों द्वारा दायर अपील खारिज हो जाएगी।

14. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन